आदेश का क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल

आर0ई0 वाद सं0– 06/2018–19

चम्पा बेवा

वनाम

विपक्षी– सोचिन रवानी वगै0

आदेश

28.08.2019

आवेदिका चम्पा बेवा, पति– स्व0 शहीत रमानी, सा0– कालू (बेलडांगा) थाना– बरहरवा, जिला– साहेबगंज को सुना। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन दाखिल कर विपक्षीगण को विवादित भूमि से उच्छेद करने हेतु अनुरोध किये हैं। आवेदिका के द्वारा दाखिल आवेदन पत्र के अवलोकनोपरांत संतुष्ट होकर वाद की कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा उभय पक्षों को नोटिश निर्गत कर विपक्षी से कारण पृच्छा की मांग की गई तथा आवेदन पत्र में अंकित तथ्यो पर जाँच प्रतिवेदन हेतु अंचल अधिकारी, बरहरवा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	जमाबंदी नं0	दाग नं0	रकवा
कालू	122	293 एवं 294	00–09–02

आज उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्षों को सुना। आवेदिका का संक्षिप्त में कहना है कि अंचल अधिकारी, बरहरवा अंतर्गत मौजा कालू नं0– 138 के जमाबंदी नं0– 122, दाग नं0– 293 एवं 294, रकवा 09 कट्ठा 02 धूर जमीन आवेदिका के भोग–दखल कब्जा की जमीन है। उक्त वर्णित जमीन खतियान में आवेदिका के ससुर सोनाराम कहार के नाम से दर्ज है। उक्त वर्णित जमीन दाग नं0– 293 एवं 294 कुल रकवा 09 कट्ठा 02 धूर जमीन में से 04 कट्ठा 11 धूर जमीन आवेदिका के पति शहीत रमानी ने अपने भाई शंभु रमानी से खरीद कर प्राप्त किये हैं। उक्त जमीन में से आधा अंश अर्थात 04 कट्ठा 11 धूर जमीन शंभु रमानी ने बिक्री कर दिया है, जिसके कारण शंभु रमानी के पास कोई जमीन नहीं बचा है। विपक्षीगण ने आवेदिका के उक्त वर्णित जमीन 09 कट्ठा 02 धूर के अन्दर 04 कट्ठा जमीन पर गलत व गैर कानूनी रूप से घर बनाकर अवैध रूप से दखल कर हड़प लिये हैं। आवेदिका ने दिनांक 07.08.2018 को करीब 10 बजे दिन में विपक्षियों को उकत अतिक्रमण जमीन से हटाने के लिए कहे तो विपक्षीगण हटने से साफ तौर पर इन्कार कर दिये तथा गाली–गलौज कर जान मारने की धमकी भी दिये। विपक्षीगण सिर्फ ताकत, बाहुबल एवं असामाजिक तत्वों के सांठ–गांठ के बल पर आवेदिका की जमीन को हड़पे हुए हैं।

अतः आवेदिका ने उक्त वर्णित जमीन से विपक्षीगण को उच्छेद करने हेतु अनुरोध किये हैं।

जबाब में विपक्षीगण ने कहा कि उक्त विवादित जमीन पर आवेदिका द्वारा विपक्षीयों के विरूद्ध दं0प्र0सं0 की धारा 144 के अधीन श्रीमान के न्यायालय में क्रि0मि0 केस नं0– 474/2017, दिनांक 24.08.2017 को दाखिल किये थे, जो बिना फलाफल के समाप्त हो गया है। पुनः दिनांक 23.12.2017 को आवेदिका के पुत्र दिलीप रमानी द्वारा क्रि0मि0 केस नं0– 768/2017 दं0प्र0सं0 की धारा 144 के अधीन आरम्भ कराया गया है। विपक्षीगण को सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिला है। विपक्षीगण का प्रधानमंत्री आवास का लाभ न मिले इसलिए आवेदिका द्वारा बार–बार मुख्यमंत्री जनसंवाद एवं दं0प्र0सं0 की धारा 144 के तहत आवेदन दाखिल कर विपक्षीगण को परेशान कर रहे हैं। इस संबंध में अंचल अधिकारी, बरहरवा में भी विविध वाद सं0 06/2017–18 आरम्भ किया गया था, जिसमें अंचल अधिकारी, बरहरवा ने उभय पक्षों के कागजात एवं संबंधित हल्का कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के अवलोकनोपरांत आवेदिका के दावा को निराधार पाया है। आवेदिका ने अपने मूल आवेदन के पारा 04 में अपने पति का वंशावली का उल्लेख किये हैं, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि रैयत सोनाराम कहार के दो पुत्र क्रमशः शंभु रमानी एवं शहीत रमानी है। शंभु रमानी ने अपने अंश की भूमि मौज कालू जमाबंदी नं0– 122, दाग नं0– 294 रकवा 04 कट्ठा 05 धूर एवं दाग नं0– 293 रकवा 03 कट्ठा 05 धूर, कुल रकवा 07 कट्ठा 10 धूर जमीन विपक्षी सचिन रमानी के पिता बसंत रमानी को निबंधित केवाला सं0

Scanned with CamScanner

4383/1971 दिनांक 29.11.1971 के द्वारा बिक्री कर दखल कब्जा दे दिये, जिसपर विपक्षी के पिता द्वारा मिट्टी का मकान बनाकर रह रहे हैं। वर्तमान में विपक्षी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण किया जा रहा है, जिससे मकान नहीं बनने देने की नीयत से आवेदिका बार–बार विपक्षीगण को परेशान कर रहे हैं।

अतः विपक्षीगण ने आवेदिका द्वारा दाखिल उच्छेदी वाद आवेदन को खारिज करने एवं प्रधानमंत्री आवास बनाने देने का अनुमति देने का अनुरोध किये हैं।

अंचल अधिकारी, बरहरवा के पत्रांक 1410/रा0, दिनांक 26.10.2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। अंचल अधिकारी, राजमहल ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किये हैं कि मौजा कालू, थाना सं0– 138 के खाता सं0 122 दाग नं0– 293 एवं 294 रकवा 04 कट्ठा 17 धूर एवं 04 कट्ठा 05 धूर जमीन खतियान में सोनाराम कहार, पिता– वनमाली कहार के नाम से दर्ज है। इस खाता में कुल 06 बीघा 06 कट्ठा 10 धूर जमीन है। आवेदिका चम्पा बेवा खतियानी रैयत सोनाराम कहार की पौत्रवधु है। निबंधित केवाला सं0 525 दिनांक 27.02.1987 के द्वारा खतियानी रैयत सोनाराम कहार के पुत्र शंभु रमानी, पिता– सोनाराम रमानी, सा0– कालू ने मौजा कालू थाना सं0– 138 के जमाबंदी नं0– 122 दाग नं0– 293, 294 एवं 192 रकवा क्रमशः 07 कट्ठा 17 धूर, 04 कट्ठा 17 धूर एवं 04 कट्ठा 05 धूर कुल रकवा 16 कट्ठा 19 धूर जमीन आवेदिका चम्पा देवी के पति स्व0 शहीत रमानी ने क्रय किये हैं तथा MCN 243/1994–95 द्वारा वर्णित जमीन नामांतरित है तथा 2009–10 तक का लगान अद्यतन है। विपक्षीगण सोचिन रमानी, पिता– स्व0 बसंत रमानी, लाल मोहन रमानी, पिता– सोचिन रमानी, मोहन रमानी पिता– सोचिन रमानी, मिठुन रमानी पिता– सोचिन रमानी सभी सा0– कालू (बेलडांगा) थाना– बरहरवा, जिला– साहेबगंज के द्वारा कागजात की मांग की गयी। इनके द्वारा निबंधित केवाला सं0 4348 दिनांक 29.11.1971 द्वारा खतियानी रैयत सोनाराम कहार के पुत्र शंभु रमानी ने मौजा कालु के जमाबंदी नं0– 122 दाग नं0– 294 रकवा 04 कट्ठा 05 धूर, दाग नं0– 293 रकवा 03 कट्ठा 05 धूर, कुल रकवा 07 कट्ठा 10 धूर जमीन विपक्षी क्रमांक 01 के पिता स्व0 बसंत रमानी क्रय किये है। विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत वर्णित जमाबंदी नं0– 122 रकवा 12 कट्ठा 19 धूर का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया तथा वर्ष 1988–89 तक लगान निर्गत है। उभय पक्षों के बीच वर्णित विवादित दाग नं0– 293 एवं 294 से संबंधित अंचल कार्यालय, बरहरवा में विविध वाद सं0 06/2017–18 दायर की गयी थी, जिसपर अंतिम आदेश पारित है। उभय पक्ष खरीदगी जमीन का विक्रेता शंभु रमानी के द्वारा दोनों दागों 293 एवं 394 की जमीन बिक्री कर दिया गया है। विपक्षी सोचिन रमानी एवं अन्य के पिता बसंत रमानी शंभु रमानी से सन् 1971 में खरीद किया था एवं तब से इनके दखल में है। जबकि चम्पा बेवा के पति उक्त दाग की खरीदगी 1987 में किया है। चम्पा बेवा विक्रेता शंभु रमानी का छोटा भाई स्व0 शहीत रमानी की पत्नी है। उपरोक्त वर्णित जमीन का स्वामित्व को लेकर दोनों पक्षों में विवाद से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त है।

उपरोक्त तमाम स्थितियों एवं परिस्थितियों पर सम्यकरूपेण विचारोपरांत यह प्रतीत होता है कि आवेदिका द्वारा विपक्षी को उच्छेद करने हेतु प्रर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा पायी हैं। अतएव आवेदिका द्वारा दायर उच्छेदी वाद आवेदन को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

Scanned with CamScanner